OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE (HQs), DELHI

ADDENDUM

VACANCY NOTICE

In partial modification of earlier Vacancy Notice/Advertisement dated 01.02.2021 & 06.02.2021 of this Office and in the light of Notification dated 04.01.2021 of the Ministry of Social Justice of Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)] the vacancies in respect of Persons with Disabilities (PwD) candidates shall be read as under:-

Sr. No.	Post Code	Posts	Total	Persons with Disabilities (Blind/Low Vision)	Persons with Disabilities (Hearing Impairment/ HH)	Persons with Disabilities (Locomotor Disability)	Persons with Disabilities (Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness and Multiple disabilities mentioned under clauses (a) to (d) including deaf-blindness)
1	A – 5 (a)	Peon/Orderly/ Dak-Peon (In the office of Principal District & Sessions Judge (HQs), Delhi	11	03 (B,LV)	03 (D, HH)	03 (OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV)	02 {ASD (M), ID, SLD, MI, MD (Involving a to d)}
		Peon/Orderly/ Dak-Peon (In the office of Principal Judge, Family Courts (HQs), Delhi	01	Nil	Nil	01 (OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV)	Nil
2	A – 5 (b)	Chowkidar	01	Nil	01 (D, HH)	Nil	Nil
3	A – 5 (c)	Sweeper / SafaiKaramchari	01	01 (B, LV)	Nil	Nil	Nil
4	A – 6	Process Server	03	01 (B, LV)	01 (D, HH)	01 OA, BA, OL, CP, LC, Dw & AAV)	Nil

Abbreviations: B- Blindness, LV- Low Vision, D- Deaf, HH- Hard of Hearing, OL – One Leg affected, OAL- One Arm Leg affected, CP- Cerebral palsy, LC- Leprosy cured, Dw- Dwarfism, AAV- Acid Attack Victim, ASD (M) - Autism Spectrum Disorder (Mild). ID- Intellectual disability, SLD- Specific Learning Disability, MI- Mental Illness, MD- Multiple Disabilities.

Note :-

01. The applications are invited from the eligible candidates of PwD categories only. The candidates who have already applied for the above said posts against the Vacancy Notice/Advertisement dated 01.02.2021 & 06.02.2021 need not apply afresh.
02. The applications should be submitted ONLY ONLINE at Delhi District Courts website i.e. www.delhidistrictcourts.nic.in. Applications will not be entertained by any other mode. Candidates must possess a valid E-Mail ID and a Mobile phone number to fill up online application form.
03. The Online filling up of application will start at 10:00 AM (IST) on 13.04.2021 and will end at 05:00 PM (IST) on 18.04.2021 after which the link will be disabled and no application will be entertained thereafter.
04. A non-refundable online fee of Rs. 250/- (Rupees Two hundred fifty only) will be charged along with applicable transaction charges. Fee once paid shall not be refunded under any circumstances. It is clarified that no chargeback claims will be entertained.
05. Candidates suffering from such disabilities for which vacancies have been reserved in a particular post, would be given the facilities to bring their own scribe and/or compensatory time in addition to

Attested 8/4/2021

the prescribed duration of the examination in terms of OM No. F.No. 34-02/2015-DD-III dated 29.08.2018 of Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) subject to the condition that the option for availing the facility of scribe and/or compensatory time has been exercised at the time of filling up the application form and requisite certificate and undertaking/affidavit in the prescribed format is submitted at the examination centre on the date of the examination.

06. Question Papers and Answer Sheets will not be provided in **BRAILLE** for candidates suffering from disabilities of Blind/Low Vision.

07. No attendant will be allowed with candidates inside the examination centre. The candidate will have to arrange his/her own Scribe at his/her cost and inform the Centre Head. A person acting as a Scribe for one candidate cannot be a scribe for another candidate. The academic qualification of the scribe should be one grade lower than the eligibility criteria stipulated for the post of Peon/Orderly/Dak-Peon, Chowkidar, Sweeper/Safai Karamchari & Process Server i.e. Matriculate. Therefore, scribe should not be a Matriculate. Both the candidates as well as the scribe will have to give undertaking that the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria. In case it later transpires that the scribe did not fulfill any of the laid down eligibility criteria or had suppressed material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the Objective / MCQ Test.

08. The benefits of reservation shall be applied as per the rules.

09. **The PwD applicants/candidates after having cleared the Objective / MCQ Test, Driving Test (wherever applicable) and Interview round should be capable of efficiently discharging their duties as per the satisfaction of the Medical Board/ Screening Committee that may be constituted before or after their names are recommended for appointment. The Medical Board/ Screening Committee may assess, evaluate the extent of specified disability of the PwD applicant/ candidate on the parameters culled out in the Guidelines for evaluation procedure for certification of specified disabilities under the Disabilities Act, 2016.**

10. The Selection of the Candidates shall be made in accordance with "Delhi District Courts Establishment (Appointment & Conditions of Service) Rules-2012" (herein after referred as "Rules 2012"). The Rules are available on www.delhidistrictcourts.nic.in.

11. Candidates suffering from such disabilities for which there is no vacancy in the respective post shall be required to fulfill the criteria applicable for their respective category and relaxation in age and marks shall be given to them as per their respective category only, if applicable. Only such persons would be eligible for reservation under the quota reserved for Persons with Disability, who suffer from not less than 40% of relevant disability mentioned above in this Notice.

12. The rest of the terms and conditions for the Recruitment Process are same as mentioned in the Vacancy Notice/Advertisement dated 01.02.2021 & 06.02.2021 and Detailed Advertisement & Common Instructions to the candidates.

13. For further details, the candidates must read the "COMMON INSTRUCTIONS" to apply online available on the official website. The candidates are advised to visit the Delhi District Courts website i.e. www.delhidistrictcourts.nic.in regularly.

Sd/-
Chairperson
Recruitment Committee,
Office of the Principal District & Sessions Judge(HQs),
Tis HazariCourts,Delhi.

Attested
8/4/2021
(TRIPTA DEWAN)
Sr. Administrtive Officer (Judl.)
O/o District & Sessions Judge (HQs)
Tis Hazari Court, Delhi

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

अनुपूरक

रिक्ति सूचना

इस कार्यालय के पहले के भर्ती सूचना /विज्ञापन दिनांक 01-02-2021 और 06-02-2021 के आंशिक संशोधन में और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारिता विभाग के अधिसूचना दिनांक 04-01-2021 के आलोक में विकलांग (दिव्यांगजन) विकलांग पी डब्लू डी उम्मीदवारों के संबंध में रिक्तियों को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

क्रम संख्या	पद कोड	पद	कुल	विकलांग व्यक्ति (दृष्टिहीन/कम दृष्टि)	विकलांग व्यक्ति (श्रवण बाधित/ एच एच)	विकलांग व्यक्ति (लोकोमोटर विक्लांगता)	विकलांग व्यक्ति स्वलीनता (ऑटिज्म), बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम (लर्निंग) विकलांगता व मानसिक बीमारी तथा श्रवण बाधित-दृष्टिहीनता सहित खंड (ए) से (डी) के तहत उल्लिखित विविध विकलांगताएं
1	A-5 (a)	चपरासी /अर्दली / डाक-चपरासी (कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली में)	11	03 (B, LV)	03 (D,HH)	03 (OL,OAL, CP, LC, DW, AAV)	02 {ASD (M), ID, SLD, MI, MD (A से D शामिल)}
		चपरासी /अर्दली / डाक-चपरासी (कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (मुख्यालय), दिल्ली में)	01	कुछ नहीं	कुछ नहीं	01 (OL,OAL, CP, LC, DW, AAV)	कुछ नहीं
2	A-5 (b)	चौकीदार	01	कुछ नहीं	01 (D,HH)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	A-5 (c)	स्वीपर / सफाई कर्मचारी	01	01 (B, LV)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	A-6	प्रॉसेस सर्वर	03	01 (B, LV)	01 (D,HH)	01 (OA, BA, OL, CP, LC, DW & AAV)	कुछ नहीं

संक्षिप्त रुप:- बी-दृष्टिहीन, एलवी-कम दृष्टि, डी-बहरा, एचएच-सुनने में दिक्कत, ओएल-एक पैर प्रभावित ,ओऐएल -एक हाथ पैर प्रभावित, सीपी- मस्तिष्क पक्षाघात, एलसी- कुष्ठ रोग ठीक हो गया, डीडब्लू- बौने, एएवी-एसिड अटैक पीड़ित, एएसडी(एम)- ऑस्टिम,स्पेकट्रम विकार(हल्के), आईडी-बौद्धिक विकलांगता, एसएलडी-सीखने की विकलांगता को निर्दिष्ट करता है, एम आई-मानसिक बीमारी, एमडी- बहु विकलांग।

नोट:-

1. आवेदन केवल पी डब्लू डी श्रेणियों के योग्य उम्मदवारों से आमंत्रित किए गए हैं। जिन उम्मदवारों ने पहले से ही उपरोक्त बताये गए पद के लिए विज्ञापन दिनांक 01-02-2021 और 06-02-2021 में आवेदन कर दिया है उनको नया आवेदन करने की जरुरत नहीं है।

2. आवेदन पत्र दिल्ली न्यायालय की वेवसाइट, जो है www.delhidistrictcourts.nic.in पर केवल ऑनलाइन दाखिल किए जाने चाहिए। किन्ही अन्य माध्यमों के द्वारा दाखिल किए गए पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।ऑनलाइन फार्म भरने के लिए उम्मीदवार के पास एक वैध ई-मेल पता और मोबाइल नंबर होना चाहिए।

(TRIPTA DEWAN)
Sr. Administrtive Offcer (Judl.)
O/o District & Sessions Judge (HQs)

3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 13-04-2021 को 10.00 बजे प्रातः (भामास) से शुरु होगी और यह दिनांक 18-04-2021 को सायं 05.00 बजे (भामास) को समाप्त होगी और इसके बाद लिंक बंद हो जाएगा और इसके उपरांत किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. एक गैर वापसी योग्य ऑनलाइन शुल्क रु 250/-(केवल दो सौ पचास रुपये) लागू लेन-देन शुल्क के साथ लिया जायेगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी चार्जबैक दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. ऐसी विकलांगता से पीड़ित आवेदक जिनके लिए रिक्तियां एक विशेष पद पर आरक्षित की गई हैं, उन्हें कार्यालय ज्ञापन संख्या F.NO.34-02/2015-DD-III दिनांक 29-08-2018 के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांग) के सशक्तिकरण विभाग के संदर्भ में परीक्षा की निर्धारित अवधि के लिए परिशिष्ठ में अपना स्वयं का लिपिक और/या प्रतिपूरक समय में लानेकी सुविधा दी जाएगी। यह इस शर्त के अधीन किया गया है कि लिपिक और प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प आवेदन पत्र भरने के समय पर अभ्यास किया गया है और निर्धारित प्रारुप में प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र /शपथ पत्र परीक्षा केन्द्र की परीक्षा की दिनांक को परीक्षा केन्द्र में जमा किया गया है।

6. दृष्टिहीन /कम दृष्टि वाले विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका ब्रिल(BRAILL) में प्रदान नहीं की जाएगी।

7. परीक्षा केन्द्र के भीतर उम्मीदवार के साथ किसी सहायक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को अपने खर्चे पर अपने लिए प्रलिपिक की व्यवस्था करनी होगी और केन्द्र प्रमुख (सेंटर हैड) को इसकी सूचना देनी होगी। कोई व्यक्ति जो किसी एक उम्मीदवार के लिए प्रलिपिक का कार्य कर रहा है वह किसी अन्य उम्मीदवार के लिए प्रलिपिक नहीं हो सकता है। प्रलिपिक की शैक्षिक योग्यता चपरासी/अर्दली/डाक-चपरासी, चौकीदार, स्वीपर/सफाई कर्मचारी और प्रोसेस सर्वर के पद के लिए निर्धारित पात्रता मापदंड, जो है मैट्रिकुलेट, से एक श्रेणी/ग्रेड कम होनी चाहिए। अतः प्रलिपिक मैट्रिकुलेट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार और साथ ही साथ प्रलिपिक दोनों को यह शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) देना होगा कि प्रलिपिक सभी निर्धारित योग्यता मापदंडों को पूरा करता है। यदि बाद में यह प्रकट होता है कि प्रलिपिक किसी निर्धारित योग्यता मापदंड को पूरा नहीं करता है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है तो वस्तुनिष्ठ/एमसीक्यू परीक्षा के परिणाम के बावजूद आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

8. आरक्षण का लाभ नियम के अनुसार लागू किया जाएगा।

9. वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पी प्रश्न (एमसीक्यू टेस्ट) परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट (जहां पर लागू होता है) और साक्षात्कार का दौर पूरा करने के बाद पीडब्लूडी आवेदक/उम्मीदवारों की मेडिकल बोर्ड/स्क्रीनिंग कमेठी की संतुष्टि के अनुसार अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने मे सक्षम होना चाहिए जो कि पहले या बाद मे गठित किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड/स्क्रीनिंग कमेठी विकलांग अधिनियम,2016 के तहत निर्दिष्ट विकलांगों के प्रमाणीकरण के लिए दिशा-निर्देश प्रक्रिया में उल्लिखित मापदंडों पर पीडब्लूडी आवेदक/उम्मीदवार की निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आंकलन कर सकती है।

10. उम्मीदवारों का चयन " दिल्ली न्यायालयों की स्थापना (सेवा की नियुक्ति और शर्त) नियम 2012" (यहां नियम 2012 के रुप में पुष्टि के बाद किया जाएगा) के अनुसार नियम www.delhidistrictcourts.in.nic पर उपलब्ध है।

11. उम्मीदवार किसी ऐसी विक्लांगता से पीड़ित है जिसके लिए संबंधित पद में कोई रिक्ति नहीं है, उन्हें अपनी संबंधित श्रेणी के लिए उपयुक्त मापदंड को पूरा करना होगा तथा उनको अपनी संबंधित श्रेणी के अनुसार ही आयु सीमा और अंकों में छूट दी जाएगी, यदि लागू होती है तो। केवल वही व्यक्ति विक्लांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा के तहत आरक्षण पाने के योग्य होंगे जो इस नोटिस में ऊपर दी गई संबद्ध विक्लांगता के 40% कम से पीडित नहीं हो।

12. रिक्त प्रक्रिया के लिए शेष नियम और शर्त वैसे ही हैं जैसे कि रिक्त सूचना/विज्ञापन दिनांक 01-02-2021 एवं 06-02-2021 और विस्तृत विज्ञापन और सामान्य निर्देशों में उल्लिखित है।

13. विस्तारपूर्वक विवरणके लिए, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए "**सामान्य अनुदेशों (कॉमन इंस्ट्रक्शन्स)**" को जरुर पढ़े, जो जिला न्यायालय दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि जिला न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट जो है www.delhidistrictcourts.in.nic को नियमित रुप से देखें।

कृते/-

अध्यक्ष

भर्ती समिति,

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),

तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

Attested

8/4/2021

(TRIPTA DEWAN)
Sr. Administrtive Officer (Judl.)
District & Sessions Judge (HQs)
... Court, Delhi